"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2005—ज्येष्ठ 27, शक 1927

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29.—यत: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की राय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की पर्याप्त मात्रा उपाप्ति के प्रयोजन के लिए तथा देश में अन्य अभाव वाले राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य में अधिशेष चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर चावल की उपाप्ति बनाने यह आवश्यक तथा समीचीन है.

अतएव, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 सन् 1955) की धारा 3, सहपठित भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता (खाद्य विभाग) के आदेश क्र. जी. एस. आर. 800 दिनांक 9 जून, 1978 भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले का विभाग) द्वारा जारी (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टाक सीमा और संचालन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2003 क्र. जी. एस. आर. 490 (ई) दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ—**

(1) यह आदेश छत्तीसगढ़ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2005 कहलायेगा.
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. **परिभाषाएं**—इस आदेश में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "राज्य" से छत्तीसगढ़ राज्य अभिप्रेत है;

(ख) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(ग) "संचालक" से अभिप्रेत है; संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण;

(घ) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है, जिले का कलेक्टर एवं इसमें शामिल है ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो राज्य शासन द्वारा इस आदेश के अंतर्गत कलेक्टर के समस्त या किसी कार्य को संपादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(ङ) "मिलर" से अभिप्रेत है किसी चावल मिल का स्वामी या भारसाधक कोई व्यक्ति;

(च) "चावल मिल" से संयंत्र और मशीन जिससे कि, और उसके परिसर परिसीमा सहित जिसमें या जिसके किसी भाग में राईस मिलिंग संचालन की कार्यवाही की जाती है, अभिप्रेत है;

(छ) "चावल" से अभिप्रेत है, शक्ति से चलित राईस मिल में धान का छिलका निकाल कर उत्पादित या निर्मित चावल की कोई किस्म और स्टाक में धारित धान के समतुल्य चावल शामिल होना;

(ज) "क्रय अधिकारी" से अभिप्रेत है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल के क्रय हेतु नियुक्त प्राधिकारी या व्यक्ति;

(झ) "प्रवर्तन अधिकारी" से अर्थ है, राज्य शासन का अधिकारी जो खाद्य निरीक्षक से कम स्तर का न हो या उप निरीक्षक के स्तर से कम का न होने वाला पुलिस अधिकारी;

(ञ) "कस्टम मिलिंग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत उपार्जित धान को मिलरों द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चावल में परिवर्तित करना.

3. **चावल पर उद्ग्रहण**—

(एक) समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने वाले मिलर को ही लेव्ही चावल की मात्रा क्रय अधिकारी को अपने स्वयं के खाते से विक्रय करने की पात्रता होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किया जाए.

(दो) प्रत्येक मिलर खण्ड 4 में परिभाषित अनुसार क्रय अधिकारी को चावल का विक्रय अनुबंध के अनुसार धान की कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण कर देने के पश्चात् ही करेगा.

(तीन) प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित सन्नियम के अनुसार विनिर्दिष्ट गुणवत्ता के चावल का विक्रय क्रय अधिकारी को किया जावेगा.

4. **लेव्ही परिदान की प्रक्रिया**—

(एक) कस्टम मिलिंग करने वाले मिलर्स को भारतीय खाद्य निगम को लेव्ही देने के पूर्व संचालक द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा-पत्र क्रय अधिकारी और कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे.

(दो) मिलर्स से निर्धारित प्रारूप में घोषणा-पत्र प्राप्त होने के उपरांत मिलर द्वारा घोषित घोषणा-पत्र में उल्लेखित मात्रा में लेव्ही चावल का क्रय किया जावे. मिलर का यह दायित्व होगा कि वह भारतीय खाद्य निगम एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में जमा कराए गये कस्टम मिल्ड चावल के आधार पर लेव्ही चावल की पात्रता की गणना कर सही जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें.

(तीन) प्रवर्तन अधिकारी एवं क्रय अधिकारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में मिलर द्वारा जमा कराए गए कस्टम मिल्ड चावल के आधार पर यह सुनिश्चित किया जावे कि मिलर से निर्धारित मात्रा में ही लेव्ही चावल प्राप्त किया जावे.

5. **मिलर द्वारा मिलिंग पर निर्बंधन**—

राज्य सरकार किसी मिलर को ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए; राज्य सरकार या उसके अभिकरणों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित एवं धारित धान के किसी भी स्टाक को चावल में सम्परिवर्तित करने के निर्देश दे सकेगी.

6. **क्रय मूल्य—**

भारत सरकार द्वारा संबंधित खरीफ विपणन मौसम हेतु कॉमन एवं ग्रेड-ए किस्म के औसत अच्छी गुणवत्ता के लेव्ही चावल हेतु निर्धारित मूल्य अनुसार राशि मिलर को देय होगी.

परन्तु विक्रय के लिए प्रस्तावित चावल के मामले में, यदि वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं है तब मिलर समान विनिर्देशों के विभिन्न मानदण्डों (Refractions) के संबंध में ऐसे सुधार करेगा जिससे कि उसे भारत सरकार द्वारा जारी विनिर्देशों के भीतर लाया जा सके.

7. **लेव्ही प्राप्ति—**

(एक) क्रय अधिकारी, यथासंभव, मिलर या उसके अभिकर्ता की उपस्थिति में चावल के दो प्रतिनिधि नमूना लेकर उनका विश्लेषण कर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत स्टॉक भारत सरकार द्वारा जारी समान विनिर्देशों के अनुरूप है.

(दो) क्रय अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने के बाद कि स्टाक समान विनिर्देशों के अनुरूप है विश्लेषण परिणाम स्टाक के लिए मूल्य गणना एवं भुगतान हेतु जारी किया जावेगा.

(तीन) विवाद की स्थिति में जहां उपखण्ड (दो) में उल्लेखित विश्लेषण के परिणाम से कोई मिलर सहमत नहीं होता है तब क्रय अधिकारी यथासंभव मिलर या उसके अभिकर्त्ता की उपस्थिति में खण्ड 3 के अंतर्गत दिए गए चावल के तीन प्रतिनिधि नमूना लिए जाने एवं सीलबंद किए जाने की व्यवस्था करेगा, एक नमूना मिलर या उसके अभिकर्ता को सौंप देगा और दो अन्य नमूनों को उस प्रयोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम की जिला प्रयोगशाला को भेज देगा. इन दो प्रतिनिधि नमूनों में से एक का विश्लेषण उप प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रक) भारतीय खाद्य निगम तथा संबंधित जिले के सहायक खाद्य अधिकारी अथवा खाद्य निरीक्षक की निगरानी में किया जाएगा.

(चार) उपखण्ड (तीन) में उल्लेखित द्वितीय नमूना विश्लेषण का परिणाम दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा और चावल के स्टाक के लिए देय मूल्य, उस परिणाम के आधार पर अंतिम रूप से तय कर दिया जाएगा.

8. **क्रय अधिकारी पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण—**

इस आदेश में प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य शासन, संचालक या कलेक्टर अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर, समय-समय पर, इस आदेश के अंतर्गत के प्रावधानों के अनुपालन में मिलर द्वारा समर्पित किए गए उद्ग्रहित चावल अथवा जमा किये गये कस्टम मिल्ड चावल के संबंध में ऐसी जानकारी भारतीय खाद्य निगम के उपयुक्त अधिकारी से मांग सकता है.

9. **छूट—**

सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को राज्य शासन छूट दे सकता है और किसी भी समय ऐसी छूट को वापस ले सकेगा या निरस्त कर सकेगा.

10. **शास्ति—**

(एक) इस आदेश के किन्हीं भी उपबंध का यदि मिलर या कोई अन्य व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो वह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन दण्ड का भागी होगा.

(दो) इस आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित मिलर अथवा संबंधित अन्य व्यक्ति के धान एवं चावल के संपूर्ण स्टाक शासन के पक्ष में समपहृत कर लिया जाएगा.

11. **प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियां—**

कोई प्रवर्तन अधिकारी, इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए या यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश का पालन किया गया है—

(एक) किसी चावल मिल या अन्य स्थान जहां उसे विश्वास करने का कारण हो कि चावल उत्पादित या स्टाक किया जाता है, ऐसे सहायकों के साथ, जो आवश्यक हो, प्रवेश कर सकेगा,

(दो) किसी भी व्यक्ति से समस्त आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा,

(तीन) किन्हीं भी पुस्तकों का या दस्तावेजों का परीक्षण कर सकेगा मिलर द्वारा धारित कस्टम मिल्ड चावल एवं अन्य चावल के स्टाक के संबंध में ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जैसी कि इस आदेश के अंतर्गत उद्ग्रहण आंकलित करने के उद्देश्य के लिए उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए,

(चार) तलाशी ले सकेगा और उस उद्देश्य के लिए जहां तक आवश्यक हो, किसी भी व्यक्ति को रोक कर रख सकेगा और ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पाए गए चावल को जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किन्हीं भी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है अभिग्रहित कर सकेगा और इसके पश्चात् ऐसे समस्त उपाय कर सकेगा या उनका पालन किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा जो कि इस प्रकार अधिग्रहित चावल के स्टाक का न्यायालय में पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रकार पेश करने के लिए तथा इस प्रकार का पेश किए जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हो.

12. **अभिलेखों का संधारण—**

प्रत्येक मिलर द्वारा धान एवं चावल के अभिलेखों का संचालक द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारण किया जावे.

13. **अपील—**

(1) प्रवर्तन अधिकारी अथवा क्रय अधिकारी द्वारा लेव्ही अथवा कस्टम मिलिंग के संबंध में की गई किसी कार्यवाही से व्यथित व्यक्ति आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकेगा.

(2) कलेक्टर द्वारा लेव्ही अथवा कस्टम मिलिंग के संबंध में जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश जारी होने को 30 दिवस के भीतर राज्य शासन से अपील कर सकेगा.

14. **आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करने का कर्त्तव्य—**

प्रत्येक मिलर या अन्य व्यक्ति, जिसे इस आदेश के अधीन या प्रदत्त शक्तियों द्वारा कोई आदेश या निदेश जारी किया गया हो, ऐसे आदेश या निर्देश का पालन करेगा.

15. **निरसन तथा व्यावृत्ति—**

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5728-2544-XXX (i) 70, दिनांक 15 अगस्त 1970 द्वारा प्रभावशील छत्तीसगढ़ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 1970 इस आदेश के प्रभावशील होने के दिनांक से विखंडित किया जाता है.

ऐसे निरसन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 1970 के अधीन जारी किया गया कोई आदेश इस आदेश के अधीन किया गया या जारी किया गया समझा जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**वी. एस. अनंत**, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 जून 2005

क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-7/खाद्य/2005/29, दिनांक 17-6-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बी. एस. अनंत**, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 17th June 2005

NOTIFICATION

No. F 4-7/food/2005/29.—Whereas the Governor of Chhattisgarh is of opinion that for the purpose of procuring adequate quantities of the rice for Public Distribution System and for the purpose of securing the surplus rice available in the State for meeting requirements of other deficit States in the country it is necessary and expedient to make procurement of rice within the State of Chhattisgarh.

Now therefore, in exercise of the power conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order of the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food) No. G.S.R. 800 dated 9th June 1978, Removal of (Licensing Requirement, Stock limits and Movement Restrictions) Order, 2003 No. G.S.R. 490 (E) dated 16th June 2003 issued by Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), the state government hereby makes the following order, namely :—

1. **Short title, extent and commencement—**

(1) This order may be called the Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order 2005.
(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.
(3) It shall come into force on the date of its publication in the "Official Gazette."

2. **Definitions—**In this order unless the context otherwise requires—

(a) "State" means State of Chhattisgarh;
(b) "State Government" means Government of Chhattisgarh;
(c) "Director" means Director of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Chhattisgarh;
(d) "Collector" means the Collector of the district and includes any other officer authorised by the State Government to perform all any of the functions of the Collector under this order;
(e) "Miller" means the owner or other person in charge of a rice mill;
(f) "Rice Mill" means the plant and machinery with which, and the premises including precincts thereof in which, or in any part of which rice milling operation is carried on;
(g) "Rice" means any variety of rice produced or manufactured by dehusking paddy in a mill worked by power, and includes rice equivalent of paddy held in stock;
(h) "Purchase Officer" means such authority or person as may be appointed by the Food Corporation of India;
(i) "Enforcement Officer" means an officer of the State Government not below the rank of Food Inspector or a police officer not below the rank of the Sub Inspector;
(j) "Custom Milling" means conversion of paddy procured under price support scheme by State Government into rice by millers as per norms fixed by Government of India for each Kharif Marketing Season.

**3. Levy on Rice—**

(i) Millers, who will conduct the custom milling of the paddy purchased under price support scheme, will only be entitled to sell the quantity of levy rice to purchase officer of his own account, as may be notified in the official Gazette by the State Government from time to time.

(ii) Every miller shall sell rice to the purchase officer as defined in clause 4 only after completion the custom milling of the paddy in accordance with an agreement.

(iii) Millers shall sell only specified quality of rice to the purchase officer as per the norms fixed by the Government of India for each Kharif Marketing Season.

**4. Process of Levy Procurement—**

(i) Before the sell of levy rice to the purchase officer, millers engaged in custom milling will have to furnish a declaration in a format prescribed by theDirector and submit it before the purchase officer and Collector or any officer authorised by the Collector.

(ii) On receipt of declaration from the millers, the purchase officer shall purchase the declared quantity of mentioned rice in prescribed format by millers. It shall be the duty of the miller to calculate and give the information of correct quantity of levy rice for sell in prescribed format according to the custom milled rice deposited by him to Food Corporation of India or Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.

(iii) Enforcement officer and Purchase officer shall ensure that sell of only appropriate quantity of levy rice by miller takes place according to the custom milled rice deposited by miller to Food Corporation of India or Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited.

**5. Restrictions on milling by miller—**

State Government can issue instructions on such terms and restrictions for millers, as may be notified by State Government, for coversion of the paddy procured under price support scheme and stored by State Government or its agency into rice.

**6. Purchase price—**

The price payable to millers for fair average quality of common and Grade "A" variety of levy rice shall be according to the price fixed by the Government of India for concerned Kharif Marketing Season.

Provided that in case the rice offered for sale does not confirm to the specifications issued by Government of India, the miller shall bring out such improvements as may be necessary, in regard to various refractions of uniform specification so as to bring it within the specifications issued by Government of India.

**7. Acceptance of Levy—**

(i) The purchase officer shall as far as possible in presence of the miller or his agent shall draw two representative sample and analyse in presence of the miller or his agent to confirm that the stock offered is conforming to uniform specification issued by the Government of India.

(ii) The purchase officer shall release analysis result for calculation of the price and payment after the confirmation of the stock being as per the uniform specification.

(iii) In case of dispute where the miller does not agree with the results of analysis referred to sub clause (ii), the purchase officer shall as far as possible in the presence of the miller or his agent [illegible]se to be taken and sealed three representative samples of the rice delivered under clause-3, hand [illegible] one sample to the miller or his agent and sent two other samples to District Lab of Food Corporation [illegible]dia. Out of these two representative samples, one shall be analysed under the supervision of Depu[illegible] Manager (Quality Control) of Food Corporation of India associating with the Assistant Food Officer or Food Inspector of the concerned districts.

(iv) The result of the second sample analysis referred in sub clause (iii) shall be binding on both the parties and the price payable for the stock of rice shall be finally calculated on the basis of that result.

8. **Inspection and supervision over purchase officer—**

With a view to securing compliance with the povisions of this order, the State Government, Director or the Collector, within their respective jurisdiction may, from time to time, call for details of levy collected or custom milled rice delivered by millers from appropriate authority of Food Corporation of India.

9. **Exemption—**

The State Government may, by general or special Order exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of this Order and may at any time revoke or cancel such exemption.

10. **Penalty—**

(i) If any miller or person contravenes any provision of this Order, he shall be liable to punishment under section 7 of Essential Commodities Act 1955.

(ii) If any miller contravenes any of the provision of this Order, then whole or any part of any stock of rice, together with the packages and coverings thereof shall be forfeited to the State Government.

11. **Powers of Entry, Search and Seizure etc.—**

Any Enforcement Officer may, with a view to securing compliance with the provisions of this Order or to satisfying himself that this Order has been complied with—

(i) enter, with such assistance as may be necessary any rice mill or other premises where he has reason to believe that rice is produced or stocked;

(ii) ask of any person all necessary questions;

(iii) examine any books or documents or call for the submission of such returns relating to the stocks of custom milled rice and other rice held by miller.

(iv) search and so far may be necessary for the purpose, detain any person or seize rice found in such person's possession in respect of which he has reason to believe that contravention of any of the provisions of this Order has been, is being or is about to be committed and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for the production of stocks, so seized in a court and for their safe custody, pending such production.

12. **Maintenance of records—**

Every miller shall maintain records of paddy and rice in a format as prescribed by Director

13. **Appeal—**

(1) Any person aggrieved by an order of the Enforcement officer or purchase officer regarding levy or custom milling may appeal to the Collector within 30 days of the date of receipt of the order.

(2) Any person aggrieved by an order of the Collector regarding levy or custom milling may appeal to the State Government within 30 days of the date of receipt of the order.

14. **Duty to comply with Orders and directions—**

Every miller or other person to whom any order or direction is issued under any powers conferred by or under this Order shall comply with such order or direction.

**15. Repeal and Savings—**

Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order 1970, enforced by this department's Order No. 5728-2544-XXX (i) 70, dated 15th August 1970 is hereby rescinded on the date of enforcement of this Order.

Notwithstanding anything contained in such repeal, any order issued under the Chhattisgarh Rice Procurement (Levy) Order 1970 shall be deemed to have made granted or issued under this Order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.